3
5

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 16 / 2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः– 22.10.24

उनवान

1. अनीता उर्फ भूरी आयु 29 वर्ष पुत्री जगदीश
2. महावीर आयु 32 वर्ष पुत्र जगदीश
3. सुनीता उर्फ सन्ती आयु 26 वर्ष पुत्री जगदीश जाति धाकड निवासीगण ग्राम कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 22.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जगदीश चन्द नागर – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कड़ेयावन तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 402/2 रकबा 1.8590 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया कम 1 का नाम भूरी एवं प्रार्थीया कम 3 का नाम सन्ती दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता जगदीश आत्मज रामगोपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम कडैयावन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता जगदीश की मृत्यु के पश्चात फोती इंतकाल में पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया कम 1 का नाम अनीता के स्थान पर भूरी एवं प्रार्थीया कम 3 का नाम सुनीता के स्थान पर सन्ती दर्ज कर दिया गया। इंतकाल के बाद इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गए। प्रार्थीया कम 1 का वास्तविक नाम अनीता है तथा पार्थीया कम 3 का वास्तविक नाम सुनीता है। प्रार्थीगण के समस्त सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम अनीता एवं प्रार्थीया क्रम 3 का नाम सुनीता दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता की उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमियात ग्राम कडैयावन में स्थित थी। जिसमें फोती इंतकाल में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम अनीता एवं प्रार्थीया क्रम 3 का नाम सुनीता दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात के फोती इंतकाल में गलत नाम दर्ज कर दिए गए हैं। प्रार्थीया क्रम 1 राजस्व रिकार्ड में अपना वास्तविक नाम भूरी के स्थान पर अनीता एवं प्रार्थीया क्रम 3 सन्ती के स्थान पर सुनीता दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का वास्तविक नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाबालिग दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थीगण बालिग हो चुके हैं। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियात ग्राम कड्यावन तहसील छबड़ा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण संख्या 1127 दिनांक 20.04.2006 ग्राम कडैयावन नकल नामान्तरण संख्या 1087 दिनांक 08.12.2004 नाम शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 संख्या संख्या 241 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 95 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 240 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 234 फोटो प्रति राजकीय उच्च मा0 विद्यालय कडैयावन द्वारा जारी सी0सी0 फोटो प्रति आधार कार्ड अनीता नागर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रमाण पत्र फोटो प्रति आधार कार्ड महावीर नागर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रमाण पत्र फोटो प्रति आधार कार्ड सुनीता नागर पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम भूरी एवं प्रार्थीया क्रम 3 का नाम सन्ती दर्ज है विवादित भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता जगदीश पुत्र रामगोपाल जाति धाकड के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता जगदीश की मृत्यु के पश्चात् फोती नामान्तरण खोलते समय अनीता के स्थान पर भूरी एवं सुनीता के स्थान पर सन्ती दर्ज कर दिया प्रार्थीया क्रम 1 का वास्तविक नाम अनीता तथा प्रार्थीया क्रम 3 का वास्तविक नाम सुनीता है। प्रार्थीगण के समस्त सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम अनीता व प्रार्थीया क्रम 3 का नाम सुनीता है इस भूमि के अलावा प्रार्थीगण के पिता जगदीश की अन्य भूमि भी थी जिसमें फोती नामान्तरण में प्रार्थीया क्रम 1 का नाम अनीता तथा प्रार्थीया क्रम 3 का नाम सुनीता दर्ज है प्रार्थीया क्रम 1 राजस्व रिकार्ड में भूरी के स्थान पर अनीता एवं प्रार्थीया क्रम 3 सन्ती के स्थान पर सुनीता दर्ज किया जावे। तथा नाबा0 के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे। प्रार्थीयागण का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तथा प्रार्थीया क्रम 1 व प्रार्थीया क्रम 3 का नाम दुरूस्त किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया की मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम कडैयावन खाता संख्या 241 में खातेदार का नाम भूरी व सन्ती पुत्री जगदीश राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार का नामान्तरण नम्बर 1127 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अन्य खाता संख्या 240 में अनीता पुत्री जगदीश व सुनीता पुत्री जगदीश दर्ज राजस्व रिकार्ड है नामान्तरण संख्या 1087 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की भूरी उर्फ अनीता व सन्ती उर्फ सुनीता दोनो एक ही है क्योकि नामान्तरण संख्या 1087 में खातेदारों का नाम दुरूस्त किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामान्तरण 1127 दिनांक 20.04.2006 ग्राम कडैयावन में मुताबिक सजरा जगदीश फोत वारिस महावीर नाबा0 पुत्र भूरी नाबा0 सन्ती नाबा0 पुत्री दर्ज है। नकल नामान्तरण संख्या 1087 दिनांक 08.12.2004 में मुताबिक सजरा जगदीश फोत महावीर पुत्र अनीता व सुनीता पुत्री दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 241 में नाबा0 भूरी नाबा0 महावीर नाबा0 सन्ती दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 240 में अनीता पुत्री जगदीश सुनीता पुत्री जगदीश दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड अनीता नागर फोटो प्रति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडैयावन से जारी टी.सी. में अनीता दर्ज है आधार कार्ड में सुनीता दर्ज है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से जारी प्रमाण पत्र में सुनीता नागर दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीयागण के दस्तावेजों में एवं जमाबन्दी खाता संख्या 240 में अनीता व सुनीता सही नाम अंकित है तथा नामान्तरण संख्या 1087 में मृतक जगदीश का फोती नामान्तरण सही अनीता व सुनीता के नाम से खोला गया परन्तु नामान्तरण संख्या 1127 में प्रार्थीया का नाम अनीता के स्थान पर भूरी व सुनीता के स्थान सन्ती दर्ज कर दिया। तहसीलदार छबडा द्वारा भी प्रार्थीया का सही नाम अनीता व सुनीता दुरूस्त करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीया भूरी के स्थान पर अनीता व सन्ती के स्थान पर सुनीता दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 402/2 रकबा 1.8590 है0 में दर्ज भूरी के स्थान पर अनीता एवं सन्ती के स्थान पर सुनीता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा